FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
पप्पु कुरैशी पुत्र याकुब कुरैशी व्यापारियों का मौहल्ला किरौली, आगरा किरावली, उत्तरप्रदेश		राज. सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, नागौर

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 43 **सन्** 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.09.2021	वकील प्रार्थी ने धारा 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना ~~मौलासर~~ नांवा द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 130/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 5, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थी की जब्त शुदा वाहन ट्रक संख्या यूपी 80 ईटी 4966 को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को मय उक्त प्रकरण अनुसंधान पत्रावली स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित दिनांक 27.09.2021 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावें। पत्रावली दिनांक 27.09.2021 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
27-9-21	प्रार्थी की ओर से वकील श्री मोहम्मद शाहिद सिलावट उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री आनन्द व्यास उपस्थित। श्री शंकरलाल एच.सी. पुलिस थाना नांवा अनुसंधान अधिकारी उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि जब्त शुदा वाहन ट्रक संख्या यूपी 80 ईटी 4966 का प्रार्थी पप्पु कुरैशी मालिक है, अन्य कोई दावेदार नहीं है। उक्त वाहन को पुलिस थाना नांवा द्वारा उनके प्रकरण संख्या 130/21 में जब्त कर रखा है। पुलिस थाना [illegible] कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी का उक्त [illegible] थाना नांवा में देखरेख के अभाव में [illegible] है, जबकि प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त [illegible]कता है। प्रार्थी उक्त वाहन को जम[illegible] हेतु न्यायालय द्वारा अधि[illegible] पालना करेगा, तलब करने पर लोकर पेश कर देगा, खुर्द बुर्द, गिरवी बेचान आदि नहीं करेगा, का कथन करते हुए उक्त जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द करने का निवेदन किया।	

कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:26 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27-9-21 (लागातार)	अभियोजन अधिकारी व अनुसंधान ने कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन यूपी 80 ईटी 4966 से अनुसंधान पूर्ण है। उक्त वाहन से अनुसंधान शेष नहीं है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज का अवलोकन किया जाकर मूल दस्तावेज वकील प्रार्थी को पुनः लौटाये गये। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना नांवा के प्रकरण संख्या 130/21 में जब्त कर रखा है। प्रकरण के संबंध में पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट 27.09.2021 के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर यूपी 80 ईटी 4966 से अनुसंधान पूर्ण है। उक्त वाहन से अनुसंधान शेष नहीं है। उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट शा.मि. हो। मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में 18,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये अठ्ठारह लाख मात्र) का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर की राशि का जमानतनामा, नीचे अंकित शर्तों अनुसार, उपखण्ड अधिकारी नांवा के समक्ष प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जाने पर, उपखण्ड अधिकारी नांवा द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना नांवा को पुलिस थाना नांवा के प्रकरण संख्या 130/2021 में जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर यूपी 80 ईटी 4966 प्रार्थी पप्पु कुरैशी पुत्र याकुब कुरैशी व्यापारियों का मौहल्ला किरौली, आगरा किरावली, उत्तरप्रदेश को उक्त जब्तशुदा वाहन अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं हो तो नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी की जावे।– 1. कि प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात इसके रंग–रोगन व ढ़ाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। 2. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा। 3. कि जब भी न्यायालय तलब करे, प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। उपखण्ड अधिकारी नावा को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा थानाधिकारी नावां द्वारा उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सपुर्दगी की रसीद प्राप्त कर एवं उक्त संबंध में प्रस्तुत असल दस्तावेज सहित इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी नांवा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पुलिस थाना नांवा की मूल केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार हो व नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर नागौर Signature Not Verified Digitally signed by Jitendra Kumar Soni Date: 2021.11.26 18:39:26 IST Reason: SelfAttested	